प्रेस कतरन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मधेपुरा

समाचार पत्र का नाम......प्रभात खबर......

प्रकाशन तिथि......31.03.14......

बिहार सरकार

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आम सूचना

आगामी लोक सभा चुनाव– 2014 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की षर्त्त 9 के तहत् सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला के एवं इस जिले में रह रहे अन्य जिलों के सभी षस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों, शस्त्र दुकाने एवं अनुज्ञप्तियों तथा शस्त्र, गोली (कारतूस) का भौतिक सत्यापन दिनांक 14–03–2014 एवं दिनांक 15–03–2014 को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0तक मधेपुरा जिले के सभी मुख्य थानों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी (संबंधित अंचल अधिकारी) द्वारा किए जाने का निदेष दिया गया था। परन्तु कुछ अनुज्ञप्तिधारी अपने आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन किसी कारणवश नहीं करा पाए है। अतः मधेपुरा जिले के शेष सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (जिन्होंने अपने आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन दिनांक 14–03–2014 एवं 15–03–2014 को नहीं करा पाए हैं) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10–04–2014को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0 तक को अपने षस्त्र का सत्यापन संबंधित थाना पर जाकर करवा लें।सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्त का भौतिक सत्यापन संबंधित मुख्य थाना में निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी से करवाना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि सहायक थाना में शस्त्र सत्यापन हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वैसी स्थिति में निकटवर्त्ती मुख्य थाना में उपस्थित होकर सत्यापन करायेंगे। इसके बावजूद निर्धारित उक्त अंतिम तिथि में शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराते है, तो उनके विरूद्ध उक्त शस्त्र नियमावली के उल्लंघन के तहत् शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द एवं जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसे सख्त ताकीद समझें।

जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा।

पी.आर.नं. 16105 (निर्वा.) 13–14 "मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"

जिला पदाधिकारी
प्रेस कतरन अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
मधेपुरा

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक दिनांक......................

सेवा में,

....

....

शस्त्र शाखा
Notice Board
website
31/03/14

प्रेस कतरन मूलरूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कृप्या वांछित प्रतिवेदन के साथ कतरन लौटाने की कृपा की जाय।

31/03/14

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
मधेपुरा